

पूर्व रेलवे
महाप्रबंधक (राजभाषा) कार्यालय
17, नेताजीसुभाषरोड
कोलकाता - 700 001

संख्या-ई.850/हिंदी-2/5.4.6

दिनांक 17.05.2022

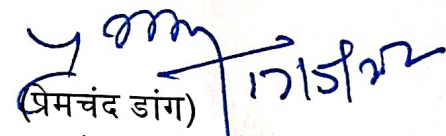
सर्व संबंधित,

विषय : हिंदी में कहानी, उपन्यास, नाटक एवं अन्य गद्य साहित्य के लिए
प्रेमचंद पुरस्कार और काव्य-गजल संग्रह के लिए मैथिलीशरण गुप्त
पुरस्कार योजना - आधार वर्ष 2021

संदर्भ: रेलवे बोर्ड का दिनांक 11.05.2022 का पत्र सं. हिंदी - 2022/प्र.-7/4

उपर्युक्त विषय पर रेलवे बोर्ड के दिनांक 11.05.2022 के पत्र सं. हिंदी - 2022/प्र.-7/4 की प्रतिलिपि सूचना, मार्गदर्शन एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु अग्रसारित की जाती है। कृपया इसका व्यापक प्रचार किया जाए और उक्त विषय पर पुस्तक की 02 मुद्रित अथवा 02 टंकित प्रतियां निर्धारित संलग्न प्रोफार्मा में दिनांक 16.08.2022 तक इस कार्यालय को कृपया उपलब्ध करवाना सुनिश्चित किया जाए।

संलग्न : यथोक्त


(प्रेमचंद डांग)
उप महाप्रबंधक(राजभाषा)
कृते मुख्य राजभाषा अधिकारी

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
रेल मंत्रालय MINISTRY OF RAILWAYS
(रेलवे बोर्ड RAILWAY BOARD)

सं.हिंदी-2022/प्र.-7/4

नई दिल्ली, तिथि: 11.05.2022

महाप्रबंधक (राजभाषा)	महाप्रबंधक (राजभाषा)	महानिदेशक	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
मध्य रेलवे, मुंबई	दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे, बिलासपुर	भा.रे.रा.अकादमी, वडोदरा	कोकण रेलवे, मुंबई
पूर्व रेलवे, कोलकाता	पूर्वोत्तर सीमा रेलवे (निर्माण)	अ.अ.मा.सं., लखनऊ	रे.वि.नि.लि., नई दिल्ली
उत्तर रेलवे, नई दिल्ली	मेट्रो रेलवे, कोलकाता	इरिसेन, पुणे	कॉनकॉर, नई दिल्ली
पूर्वोत्तर रेलवे, गोरखपुर	रेल विद्युतीकरण, प्रयागराज	इरिमी, जमालपुर	इरकॉन, नई दिल्ली
पूर्वोत्तर सीमा रेलवे, गुवाहाटी	बरेका, वाराणसी	इरिसेट, सिकंदराबाद	राइटस, गुरुग्राम
दक्षिण रेलवे, चेन्नै	सडिका, चेन्नै	इरिपन, नासिक रोड	रेलटेल, गुरुग्राम
दक्षिण मध्य रेलवे, सिकंदराबाद	रेडिका, कपूरथला	इरिटिम, लखनऊ	आईआरसीटीसी, नई दिल्ली
दक्षिण पूर्व रेलवे, कोलकाता	चिरेका, चित्तरंजन	प्रबंध निदेशक	प्रधान मुख्य प्रशाधिकारी
दक्षिण पश्चिम रेलवे, हुबली	रेपका, बेंगलूरु	भा.रे.वि.नि., नई दिल्ली	पटियाला रेलइंजन
पश्चिम मध्य रेलवे, जबलपुर	आ.रे.डि.का., रायबरेली	डी.एफ.सी.सी.आई.एल,	कारखाना, पटियाला
पश्चिम रेलवे, मुंबई	निदेशक	नई दिल्ली	कॉफमो, नई दिल्ली
उत्तर मध्य रेलवे, प्रयागराज	जगजीवन राम रेसुब अकादमी,	क्रिस, नई दिल्ली	रजिस्ट्रार
उत्तर पश्चिम रेलवे, जयपुर	लखनऊ.	प्रधान सचिव	रेल दावा अधिकरण,
पूर्व मध्य रेलवे, हाजीपुर	राष्ट्रीय रेल संग्रहालय,	भारतीय रेल सम्मेलन,	नई दिल्ली
पूर्व तट रेलवे, भुवनेश्वर	नई दिल्ली.	नई दिल्ली	

विषय : हिंदी में कहानी, उपन्यास, नाटक एवं अन्य गद्य साहित्य के लिए प्रेमचंद पुरस्कार और काव्य-गज़ल संग्रह के लिए मैथिलीशरण गुप्त पुरस्कार योजना - आधार वर्ष 2021.

रेल कर्मचारियों की साहित्यिक प्रतिभा और अभिरूचि को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से, रेल मंत्रालय की हिंदी में कहानी, उपन्यास, नाटक एवं अन्य गद्य साहित्य के लिए प्रेमचंद पुरस्कार और काव्य-गज़ल संग्रह के लिए मैथिलीशरण गुप्त पुरस्कार योजनाएं लागू हैं।

मौजूदा व्यवस्था के अनुसार, इन दोनों योजनाओं के अंतर्गत निम्नानुसार पुरस्कार एवं प्रशस्ति-पत्र प्रदान करने की व्यवस्था है:-

क्रमांक	विधा	पुरस्कार	पुरस्कारों का विवरण	पुरस्कार राशि
(i)	कथा/कहानी, उपन्यास, नाटक एवं अन्य गद्य साहित्य	प्रेमचंद पुरस्कार	1.प्रथम पुरस्कार 2.द्वितीय पुरस्कार 3.तृतीय पुरस्कार	20,000/-रु 10,000/-रु 7,000/-रु
(ii)	काव्य/गज़ल संग्रह	मैथिलीशरण गुप्त पुरस्कार	1.प्रथम पुरस्कार 2. द्वितीय पुरस्कार 3.तृतीय पुरस्कार	20,000/-रु 10,000/-रु 7,000/-रु

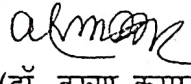
अतः अनुरोध है कि इस योजना का अपने कार्यालय में व्यापक प्रचार करे ताकि अधिकाधिक रेल अधिकारी/कर्मचारी इस योजना की ओर आकर्षित हो सकें।

आधार वर्ष 2021 की इस योजना हेतु प्रविष्टियां भेजने की अंतिम तारीख 31.08.2022 है। सभी प्रविष्टियां बोर्ड कार्यालय को प्रधान कार्यालय के माध्यम से भिजवाई जाएं।

इस योजना की महत्वपूर्ण शर्तें निम्नानुसार हैं -

1. इस योजना के अंतर्गत केवल सेवारत रेलकर्मि ही भाग लेने के पात्र होंगे।
2. जिस पुस्तक/कृति को इस पुरस्कार के लिए प्रस्तुत किया जाए, वह पुस्तक आधार वर्ष से पिछले तीन वर्षों में लिखी (टाइप की हुई प्रति) अथवा प्रकाशित हुई होनी चाहिए।
उदाहरणार्थ: जैसे वर्तमान में आधार वर्ष 2021 के लिए प्रविष्टियां मांगी गई हैं, तो इस योजना में पुस्तक भेजने के लिए उसका लेखन कार्य अथवा प्रकाशन कार्य 01.01.2019 से 31.12.2021 तक पूरा हुआ होना चाहिए, तभी इसे स्वीकार किया जाएगा।
3. पुस्तक लेखक की पूर्णतः मौलिक कृति होनी चाहिए। किसी अन्य भाषा से ली गई, अनूदित/संपादित अथवा इंटरनेट से डाउनलोड/कॉपी की गई पुस्तकों पर विचार नहीं किया जाएगा।
4. इस योजना के अंतर्गत एक लेखक/कवि को लगातार तीन वर्ष तक पुरस्कृत नहीं किए जाएगा।
5. पुस्तक सामान्यतः 100 पृष्ठ से कम नहीं होनी चाहिए।
6. भेजी गई प्रविष्टि को पूर्व में भारत सरकार या राज्य सरकार या संघ शासित प्रदेश के किसी प्रशासन की किसी योजना के अंतर्गत पुरस्कार प्राप्त न हुआ हो।
7. पुस्तक की 2 मुद्रित अथवा 2 टाइप की हुई प्रतियां भेजने के साथ-साथ अपेक्षित जानकारी बोर्ड द्वारा निर्धारित संलग्न प्रोफार्मा में भरकर अधोहस्ताक्षरी को कमरा. नं. 544, रेल भवन, नई दिल्ली में 31.08.2022 तक अवश्य भिजवा दी जाएं।

संलग्नक : यथोक्त


(डॉ. बरुण कुमार)
निदेशक (राजभाषा)

प्रतिलिपि: बोर्ड कार्यालय तथा आरपीएसएफ कैंप, दया बस्ती, नई दिल्ली के अधिकारियों/कर्मचारियों को आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रेमचंद/मैथिलीशरण गुप्त पुरस्कार योजना

1. (क) लेखक का नाम (द्विभाषी रूप में) :
 (ख) पदनाम :
 (ग) कार्यालय का नाम और पता :
2. पुस्तक का नाम :
3. पुस्तक का विषय :
4. प्रकाशक का नाम व पता (यदि कोई हो) :
5. पुस्तक लिखने का कार्य पूरा करने की तारीख (माह-वर्ष) :
6. पृष्ठों की संख्या :

घोषणा-पत्र

मैं एतद्वारा प्रमाणित करता/करती हूँ कि यह पुस्तक मेरी मौलिक रचना है और इसे किसी अन्य पुरस्कार योजना के अंतर्गत या उपर्युक्त योजना के अंतर्गत पहले कभी पुरस्कृत नहीं किया गया है. यह पुस्तक पुरस्कार वर्ष से पिछले तीन वर्ष के दौरान पहली बार लिखी गई अथवा प्रकाशित की गई है और इससे किसी दूसरे के कॉपीराइट अधिकार का उल्लंघन नहीं होता है.

लेखक के हस्ताक्षर

पूरा नाम :

कार्यालय का पूरा पता :

रेलवे फोन:

मोबाइल नं.:

ई-मेल:

फैक्स नं. :

दिनांक:

स्थान :
